जारी
03/04/19

संख्या– 352 /XXVIII(1)/2019-05/2012

प्रेषक

युगल किशोर पन्त,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादूनः दिनांक 03 अप्रैल, 2019

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

विषयः श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून को निर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र (Essential Certificate) को निरस्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–5218/चि0शि0/09/138/2018 दिनांक 15 मार्च, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें डॉ0 जगत नारायण सुभारती चैरिटेबल ट्रस्ट, देहरादून द्वारा संचालित 150 एम0बी0बी0एस0 सीट वार्षिक प्रवेश क्षमता से युक्त श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या–2720/XXVIII(1)/2014-05/2012 दिनांक 28 अगस्त, 2014 द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र (Essentiality Certificate) को निरस्त किये जाने तथा प्रकरण पर राज्य सरकार द्वारा किये गये/सम्भावित व्यय ₹ 22,48,68,575/– की वसूली किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अवगत कराना है कि श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं तथा भूमि विवाद के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या–571/2018 सौरभ बराला व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित की गयी, जिसमें दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने राज्य सरकार को उक्त मेडिकल कॉलेज को समस्त चल–अचल सम्पत्ति सहित अधिग्रहण किये जाने के आदेश दिये, जिसके अनुपालन में उक्त मेडिकल कॉलेज का राज्य सरकार द्वारा चल–अचल सम्पत्ति सहित अधिग्रहण कर दिया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के बाद के आदेश के क्रम में समस्त चल–अचल सम्पत्ति सहित मेडिकल कॉलेज को सम्बन्धित ट्रस्ट को वापस कर दिया गया। उक्त रिट याचिका में दिनांक 23 जनवरी, 2019 को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा आदेश पारित करते हुए मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2016–17 एवं 2017–18 के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को राज्य के अन्य राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये थे तथा पुनः अपने आदेश में उक्त छात्र–छात्राओं को केवल तीनों राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ही स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये हैं।

3– चूंकि उक्त रिट याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इसमें अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्थानान्तरित करने के आदेश दिये हैं, अतः ऐसी प्रास्थिति में उक्त राजकीय मेडिकल कॉलेज को शासनादेश संख्या–2720/XXVIII(1)/2014-05/2012 दिनांक 28 अगस्त, 2014 द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण

पत्र (Essentiality Certificate) की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। अतः प्रकरण पर मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित विभिन्न आदेशों तथा प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के उपरान्त उक्त मेडिकल कॉलेज को शासनादेश संख्या–2720/XXVIII(1)/2014-05/2012 दिनांक 28 अगस्त, 2014 द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण पत्र (Essentiality Certificate) को तत्काल प्रभाव से समाप्त माना जाय।

4– प्रकरण पर राज्य सरकार को जो आर्थिक क्षति हुई है तथा जो सम्भावित है, उसकी वसूली के लिए आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित संस्थान को नोटिस निर्गत करते हुए वसूली की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय
3/4/19
(युगल किशोर पन्त)
अपर सचिव।

संख्या–352 /XXVIII(1)/2019-05/2012 एवं दिनांक 03 अप्रैल, 2019।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारका, फेस–1, नई दिल्ली–110077।

2– मेनेजिंग ट्रस्टी / प्राचार्य, श्रीदेव सुमन सुभारती मेडिकल कॉलेज, कोटड़ा संतौर, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।